REGD, NO. D. L.-33004/99

HILLING SHILLING

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1192] No. 1192]

रजिस्टी सं॰ डी॰ एल॰-33004/9

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 6, 2006/आश्विन 14, 1928 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 6, 2006/ASVINA 14, 1928

लघु उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2006

का.आ. 1722(अ — केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) जिसे इसमें उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शविायों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित मदों को विनिर्दिष्ट करती है जिनकी लागत को उक्त अधिनियम के खण्ड 7 (1) (a) में वर्णित उद्यमों की दशा में संयंत्र एवं मशीनरी में विनिध् न की गणना करते समय अपवर्जित किया जायेगा:

- (i) उपस्र र जैसे औजार, जिग्स, डाईयां, मोल्डस और रखरखाव के फालतू पुर्जे और उपभो य सामान की लागत;
- (ii) संयंत्र औरं मशीनरी का प्रतिष्ठापन;
- (iii) अनुस गन और विकास उपस्कर और प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर;
- (iv) राज्य बेजली बोर्ड के विनियम के अनुसार उद्यमों द्वारा प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन सेट ६ र अतिरिक्त ट्रांसफार्मर;
- (V) राष्ट्री लघु उद्योग निगम या राज्य लघु उद्योग निगम को संदत्त बैंक प्रभार और सेवा भार;
- (vi) केबल का प्रतिष्ठापन या उपापन, वायरिंग, बस बारों, विद्युत नियंत्रण पेनल (जो किसी मशीन पर चढ़ी न हों) आइँल सर्किट ब्रेकर्स या सूक्ष्म सर्किट ब्रेकर्स जो संयंत्र और मशीनरी को विद्युत शक्ति देने के लिए या सुरक्षात्मक उपाय के लिए आवरू क रूप से प्रयोग किया जाना है;
- (vii) गैस र पादक संयंत्र;
- (viii) परिवह प्रभार (बिक्रय कर या मूल्य वर्धित कर और उत्पादन शुल्क को अपवर्जित करते उ़ुए) स्वदेशी मशीन के लिए उनके उत्पादन के स्थान से उद्यम के स्थान तक;

(ix) 3171 GI/2006 संयंत्र गौर मशीनरी के परिनिर्माण करने में तकनीकी ज्ञान के लिए प्रदत्त प्रभार;

(1)

 (X) ऐसी भंडारण टंकी जो कच्चा माल और तैयार उत्पाद का भंडारण करते हों और जो उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित न हों; और

(xi) अग्निशमन उपस्कर ।

पैरा 1 के अनुसार संयंत्र और मशीनरी में विनिधान की गणना करते समय उसके वास्तविक मूल्य को इस बात पर ध्यान दिये बिना कि चाहे मशीनरी नई है या पुरानी गणना में लिया जाएगा परन्तु तब जब कि मशीनरी आयातित है तो निम्नलिखित को, मूल्य की गणना करते समय सम्मिलित किया जायेगा, अर्थात्:

- आयात शुल्क (विभिन्न खर्चों जैसे पत्तन से कारखाने के स्थल तक का परिवहन खर्च, पत्तन पर संदत्त डेमरेज प्रभार, को अपवर्जित करते हुए);
- (ii) नौवहन प्रभार;
- (iii) सीमा शुल्क निकासी प्रभार; और
- (iv) विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर।

[फा. सं. 4(1)/2006-एमएसएमई-नौति] जवाहर सरकार, अपर सचिव

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2006

S.O. 1722(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006(27 of 2006) herein referred to as the said Act, the Central Government hereby specifies the following items, the cost of which shall be excluded while calculating the investment in plant and machinery in the case of the enterprises mentioned in section 7(1)(a) of the said Act, namely:-

- equipment such as tools, jigs, dies, moulds and spare parts for maintenance and the cost of consumable stores;
- (ii) installation of plant and machinery;
- (iii) research and development equipment and pollution control equipment;
- (iv) power generation set and extra transformer installed by the enterprise as per the regulations of the State Electricity Board;
- (v) bank charges and service charges paid to the National Small
 Industries Corporation or the State Small Industries Corporation;
- (vi) procurement or installation of cables, wiring, bus bars, electrical control panels (not mounted on individual machines), oil circuit

2

भारत का राजपत्र : असाधारण

reakers or miniature circuit breakers which are necessarily to be sed for providing electrical power to the plant and machinery or for afety measures;

- (vii) as producer plants;
- (viii) ansportation charges (excluding sales-tax or value added tax nd excise duty) for indigenous machinery from the place of their anufacture to the site of the enterprise;
- (ix) harges paid for technical know-how for erection of plant and hachinery;
- (x) uch storage tanks which store raw materials and finished products nly and are not linked with the manufacturing process; and
- (xi) re fighting equipment.

2. While alculating the investment in plant and machinery referred to in paragraph 1, he original price thereof, irrespective of whether the plant and machinery are new or second hand, shall be taken into account provided that in the case of in ported machinery, the following shall be included in calculating the value, namely

- (i) nport duty (excluding miscellaneous expenses such as ansportation from the port to the site of the factory, demurrage aid at the port);
- (ii) hipping charges;
- (iii) ustoms clearance charges; and
- (iv) ales tax or value added tax.

[F. No. 4(1)/2006-MSME-Policy] JAWHAR SIRCAR, Addl. Secy.

v the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 3